

फर्द अहकाम

पञ्जावली बनाम गोराम देव

नाम न्यायालय SDO साहपुर

केस संख्या 39/2022

अध्याय T.I.

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16.10.2024	<p>पञ्जावली देव देवी वही उभयपक्ष उपस्थित वही उभयपक्ष की वस्तु पर मंगल दिनांक गण। पञ्जावली का अकलौन्न दिना गण। अकलौन्न उपरोक्त जाति देव है कि श्ल वाद घोषणा खलेपरी, दुकली इन्डोज एवं स्थानी निधे घाडा का है एवं प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 22/4/2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निधे घाडा से उभयपक्ष को पावने दिना जाना उचित समझते हैं।</p>
		<p>अतः न्यायालय आदेश दिनांक 22/4/2022 को जारी अंतरिम अस्थाई निधे घाडा को स्थानी/अन्वय दिना जाता है एवं आदेश दिनांक है कि उभयपक्ष तर्कजला श्ल वाद उक्त विवादगत आराजीमात की माँके व राजस्व दिनांक की यथास्थिति बनाये रखे। पञ्जावली निर्मित शुभा संनर दर्ज नेवट से नम व एवं श्ल वाद के समझते हैं।</p>
		<p>उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)</p>